न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 18 / 2023

जीसीएमएस : 2023 / 134

01. देवा राम पुत्र श्री मोबताराम जाति नायक साकिन 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री बागाराम जाति नायक साकिन 6 एनजेडपीडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 13.04.2023

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री किशोर सोलंकी प्रार्थी अधि.।
2. श्री रणजीतसिंह सोनी अधि. अप्रार्थी सं. 1 ।

––निर्णय–– दिनांक 30.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 33 पं.नं. 221 / 369 के कि.नं. 11 ता 13, 16 ता 25 में 3.289 है. कमाण्ड भूमि कब्जा काश्त में है अपनी कब्जा काश्त उक्त कमाण्ड में जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 33 पं.नं. 221 / 369 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता पश्चिमी दिशा में स्वीकृत करवाना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता प्रार्थी को दे दिया गया है तथा जिसके बदले प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि वाक चक 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 33 पं.नं. 221 / 369 के कि.नं. 13 के पूर्व साईड में 2 बिस्वा रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को दे दिया है तथा अप्रार्थी हंसराज द्वारा इस बाबत् सहमति का शपथ पत्र भी दे दिया है अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार राजस्व को भू धारक होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी कृषि जोत में आने–जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के मु.नं. 33 पं. नं. 221 / 369 के कि.नं. 1–10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता पश्चिमी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जावे, क्योकि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि की काश्त हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक है उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में रास्ते को विधिवत स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

रणजीतसिह सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थी के नाम चक 6 एनजेडपी बी तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 33 पं.नं. 221/369 के कि.नं. 1 ता 10, 14 ता 15 में 3.036 है. कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पूर्व समझौता अनुसार मुझ अप्रार्थी से रास्ता हेतु ली गई भूमि के बदले अपनी भूमि चक 6 एनजेडपी बी का मुरब्बा नं. 33 के कि.नं. 13 के पूर्व साईड में 2 बिस्वा भूमि दी गई है, उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे अन्यथा प्रार्थी मुझ अप्रार्थी हंसराज को 2 बिस्वा का बैयनामा तस्दीक करवाये उसके बाद ही रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रार्थी द्वारा जो रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें यह भी कथान किया है कि 1–1 बिस्वा रकबा के बदले अप्रार्थी हंसराज को 2 बिस्वा भूमि दी गई है जो अप्रार्थी हंसराज के कब्जा काश्त में है। उक्त प्रकरण में जो पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें मुझ अप्रार्थी की सहमति होना अंकित की है जो मुझ अप्रार्थी हंसराज को स्वीकार नहीं है। मुझ अप्रार्थी बोल भी नही सकता हूं और ऊंचा सुनाई देता है इस प्रकार जो फर्द रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है वह अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी की भूमि चक 6 एनजेडपी बी का मुरब्बा नं. 33 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता पश्चिमी दिशा में स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त भूमि पूर्व समझौता अनुसार रास्ता हेतु छोड़ी गई और सहमति से रास्ता चला आ रहा है प्रार्थी देवाराम द्वारा उक्त रास्ता की जगह 1–1 बिस्वा के बदले मुझ अप्रार्थी हंसराज को अपनी भूमि चक 33 एनपी का कि.नं. 13 के पूर्व साईड में 2 बिस्वा भूमि दी गई है जो मुझ अप्रार्थी हंसराज के कब्जा काश्त में है उक्त 2 बिस्वा रकबा का मेरे नाम से रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जावे। या प्रार्थी स मेरे नाम बैयनामा करवाया जावे उसके बाद ही रास्ता स्वीकार करके रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो इसमें मुझ अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। अतः जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र मुझ अप्रार्थी के उजराज के अनुसार स्वीकार फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/841 दिनांक 20.5.2024 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि प्रार्थी देवाराम वल्द मोहब्बताराम जाति नायक अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी हंसराज वल्द बागाराम जाति नायक साकिन देह की कृषि भूमि चक 6 एनजैडपी बी के पं.नं. 221/369 के मु.नं. 33 के कि.नं. 1 व 10 के प्रत्येक में पश्चिमी दिशा की और एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु मौके पर कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। परन्तु मुताबिक फर्द मौका जांच के प्रार्थी देवाराम वल्द [illegible] अपनी कृषि भूमि के मु.नं. 33 के कि.नं. 13 में पूर्व दिश[illegible] दो बिस्वा भूमि उक्त प्रस्तावित रास्ते के बद[illegible]राम जाति नायक को सहमति स्वरूप प्र[illegible]ई है इसी [illegible]मति के मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ता चालू है प्रार्थी की चक 6 एनजेडपी बी के प.नं. 221/368 के मु.नं. 30 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृत रास्ते के साथ–साथ चिपते ही चक 6 एनजैडपी बी के प.नं. 221/369 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
AnyScanner

मु.नं. 33 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में पश्चिमी दिशा की ओर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए मु.नं. 33 के कि.नं. 1–10 प्रत्येक में एक–एक कुल 2 बिस्वा गै. मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर कथन किया कि प्रार्थी को मु.नं. 33 के कि.नं. 13 के पूर्व साईड में 2 बिस्वा भूमि दी गई है जो मुझ अप्रार्थी हंसराज के कब्जा काश्त में है उक्त 2 बिस्वा रकबा मेरे नाम से रिकाड में अमल दरामद करवाया जावें। या प्रार्थी से मेरे नाम बैयनामा करवाया जावे उसके बाद ही रास्ता स्वीकार करके रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो इसमें मुझ अप्रार्थी को कोई एतराज नही है।

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान है इसलिए प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए चक 6 एनजैडपी–बी के पं.नं. 221/369 मु.नं. 33 के कि.नं. 1–10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति दिनांक 27.09.1996 व तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि संमत है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर **चक 6 एनजैडपी–बी के पं.नं. 221/369 मु.नं. 33 के कि. नं. 1–10 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी की इसी मुरब्बा नं. 33 के कि.नं. 14 के चिपते कि.नं. 13 में 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावे।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:26 IST
Reason: Self Attested

SCAN AnyScanner